

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2080
दिनांक : 13.7.2018

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79- वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की अनुमति के आलोक में रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़ को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम(150 सीट) में शैक्षिक सत्र 2017-2018 से दिनांक 01.07.2017 से स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.03.2016 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
 2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
 4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही कराई जायेगी।
 5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति दिनांक 02.05.2018 के आलोक में रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़ को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम (150 सीट) में में उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 (दिनांक 01.07.2017) से स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, रामा मेडिकल कालेज-अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर, हापुड़।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मटी सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सेल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।

कुलसचिव